



- इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दशा-नरिदेशों का नरिधारण करती हैं ।
- वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांतिपुरस्कार प्रदान किया गया ।
- यह वार्षिक [वशिव रोजगार और सामाजिक दृषटकिण](#) (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रपौरट जारी करता है ।

## भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी नकिया का स्थायी सदस्य रहा है । भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरु हुआ था ।
- भारत ने ILO के 41 अभसिमयों की पुषटकी है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थतिकी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है ।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभसिमयों में से 6 की पुषटकी है । ये अभसिमय नमिनलखिति हैं:
  - बलात् श्रम पर अभसिमय (संख्या 29)
  - बलात् श्रम के उनमूलन पर अभसिमय (संख्या 105)
  - समान पारश्रमकि पर अभसिमय (संख्या 100)
  - भेदभाव (रोज़गार और व्यवसाय) पर अभसिमय (संख्या 111)
  - न्यूनतम आयु पर अभसिमय (संख्या 138)
  - बाल श्रम के सबसे वकित स्वरूप पर अभसिमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभसिमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठति होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभसिमय, 1948 (संख्या 87) और संगठति एवं सामूहिक सौदेबाज़ी के अधिकार पर अभसिमय, 1949 (संख्या 98) की पुषटकि नहीं की है ।
  - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुषटकि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी करमचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतबिंध हैं ।
- ILO ने कोवडि-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतविधियों को बढावा देने के लयि कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में कयि गए परविरतनों पर गहरी चति व्यक्त की है ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-assumes-the-chairmanship-of-the-governing-body-of-ilo>

